

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

(आयकर)

का.आ. 432(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 14 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 883(अ) में निम्नलिखित और संशोधन किया जाता है।

(i) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 4 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग	अधिकार और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	आयकर आयुक्त, (सी आई बी), कोलकाता	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	निम्नलिखित की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र (क) पश्चिम बंगाल और सिक्किम के राज्य	(क) कम्पनियों से भिन्न ऐसे व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं तथा कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहते हैं।	कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में सूचना एकत्र करने हेतु सभी अधिकार एवं कार्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(ख) अंडमान और निकोबार का संघ शासित प्रदेश	(ख) कम्पनियों से भिन्न ऐसे व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं और जिनके कारोबार का प्रमुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां होने के नाते व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है।	

(ii) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रमांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, नामतः :—

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग	अधिकार और कार्य
17.	आयकर आयुक्त, (सी आई बी), गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, प्रदेश तथा नागालैण्ड राज्यों की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	(क) कम्पनियों से भिन्न ऐसे व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं तथा कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहते हैं। (ख) कम्पनियों से भिन्न ऐसे व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं और जिनके कारोबार का प्रमुख स्थान कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां होने के नाते व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है।	कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में सूचना एकत्र करने हेतु सभी अधिकार एवं कार्य।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।